संचालनालय

महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–01, द्वितीय तल, नया रायपुर,

दूरभाष कमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax), E-Mail : dirwcd.cg@nic.in

(आईसीपीएस प्रकोष्ठ)

किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन कर समिति का गठन/पुर्नगठन किया जाना है । इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से **दिनांक 31 दिसम्बर 2016** तक आवेदन आमंत्रित हैं ।

1. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में रिक्तियों का विवरण –

क.	पदनाम	रिक्त संख्या		मानदेय
		जिले का नाम	**सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता**	
1	**किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता –**	बिलासपुर	रिक्त–1 (महिला)	1000/– प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
		रायगढ़	रिक्त–2 (एक महिला)	
		धमतरी	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कवर्धा	रिक्त–1	
		दंतेवाड़ा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		बस्तर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कोरबा	रिक्त–1 (महिला)	
		कोरिया	रिक्त–1	
		जशपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		राजनांदगांव	रिक्त–1	
		सरगुजा	रिक्त–1 (महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त–1	
		बालोद	रिक्त–1	
		बलरामपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		नारायणपुर	रिक्त–1 (महिला)	
		बीजापुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		सुकमा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कोण्डागांव	रिक्त–1	
		बेमेतरा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कांकेर	प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु पात्र पुरूष एवं महिला आवेदकों से आवेदन आमंत्रित है।	
		रायपुर		
		दुर्ग		
		मुंगेली		
		बलौदाबाजार		
		महासमुंद		
		जांजगीर चापा		
		सूजरपुर		

2	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य	1000/– प्रति बैठक/शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
		रायपुर	–	रिक्त– 1	
		रायगढ़	–	रिक्त–1	
		धमतरी	–	रिक्त–3	
		कवर्धा	–	रिक्त–4	
		दंतेवाड़ा	–	रिक्त–4	
		बस्तर	–	रिक्त–2	
		कोरबा	–	रिक्त–4 (एक महिला)	
		कोरिया	–	रिक्त–3	
		कांकेर	–	रिक्त–2	
		जांजगीर चांपा	–	रिक्त–2	
		जशपुर	–	रिक्त–2	
		सूरजपुर	–	रिक्त–3	
		सरगुजा	–	रिक्त–2	
		महासमुंद	–	रिक्त–1	
		बालोद	–	रिक्त–3	
		बलौदाबाजार	–	रिक्त–3	
		मुंगेली	रिक्त–1	रिक्त–2 (एक महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त–1	रिक्त–3	
		बलरामपुर		रिक्त–2	
		बेमेतरा	रिक्त–1	रिक्त–3 (एक महिला)	
		बीजापुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		नारायणपुर	–	रिक्त–3	
		सुकमा	रिक्त–1	रिक्त–3	
		दुर्ग राजनांदगांव कोण्डागांव बिलासपुर	प्रतीक्षा सूची तैयार करने हेतु पात्र पुरूष एवं महिला आवेदकों से अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु आवेदन आमंत्रित है।		

1. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं **www.cgwcd.gov.in** पर देखी जा सकती है ।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. **आवेदन प्रेषित करने का पता – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ 492002।**
4. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे । **आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे** । आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।
5. आवेदक का आवेदन दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार कृपया आवेदन ना करें ।

13/12/16

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर–छत्तीसगढ़

नियम व शर्तें (किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति दोनों के लिए)

4.1 आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2017 से की जायेगी ।

4.2 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 87 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

4.3 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 4(4) अनुसार –

''बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव दो भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।'

4.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल –

(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नही होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नही होंगे।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते है।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

4.5 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (4) के अनुसार बालक कल्याण समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नही होंगे।

4.6 अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच करने के पश्चात् समाप्त की जा सकती है, यदि वह सदस्य–

(1) इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है;या

(2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मास तक भाग लेने में असफल रहता है;

(3) किसी वर्ष में तीन–चौथाई से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है;

(4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।

4.7 अधिनियम की धारा 27(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि

(1) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो;

(2) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत् उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नही की गई है;

(3) वह, किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 15 (5) के अनुसार समिति मे चयन होने पर सभी व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि में नियम 89 के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।